मूलचंद वगै० वगै०

बनाम

जगदीश सिंह बेदी एवं अन्य वगै० वगै०

31 मार्च, 1992

[एस. रत्नवेल पांडियान और एम. फातिमा बीवी, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता -धारा 120बी, 302,307,324-उच्च न्यायालय ने सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की-गवाहों की विश्वसनीयता पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को दर्ज किया-उन परिस्थितियों के बारे में उचित संदेह था जिनके तहत पीड़ित को घातक गोली लगी-उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

कश्मीरी लाल, मदन लाल, बाबू राम, जगदीश सिंह बेदी और प्रेम पाल का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धारा 120 (ख), धारा 302,307, 324, 147 आई. पी. सी. के आरोपो में विचारण इस आधार पर किया कि उन्होंने रमेश चंद और अन्य लोगों की हत्या करने के लिए 17.11.1972 को आपराधिक षड`यंत्र रचा।

अभियोजन पक्ष का मामला था कि कस्तूरी लाल और मदन लाल भाई थे, तीन अन्य जगदीश सिंह बेदी, प्रेम पाल और बाबू राम इन भाइयों के दोस्त और सहयोगी थे। मूल चंद और जगदीश चंद भाई थे। मृतक रमेश चंद जगदीश चंद का बेटा था। एक ओर कश्मीरी लाल और दूसरी ओर मूल चंद दुश्मन थे और इन दोनों समूहों के बीच शिकायतें और प्रतिशिकायतें और अन्य मुकदमे हुए थे। कश्मीरी लाल को एक अंगरक्षक जयपाल सिंह, पीडब्लू-17 प्रदान किया गया था।

मूल चंद के एक अन्य भाई, केवल किशोर की बेटी किरण प्रभा की शादी 17.11.72 को हो रही थी और शादी की बारात दिल्ली से आई थी। बारात के साथ मूल

चंद, अमृत लाल, सुभाष चंद, रमेश चंद और आग्याराम थे। रमेश चंद और अमृत लाल बारात का नेतृत्व कर रहे थे।

जब बारात अधिवक्ता धर्मवीर सिंह सेहरावत के आवास के पास टोंगा स्टैंड पर पहुंची, प्रेम पाल और जगदीश सिंह बेदी, प्रेम पाल द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर वहाँ आये और उसे बारात के सामने सड़क के किनारे रोक दिया। इसके साथ ही मोटरसाइकिल के पीछे एक एम्बेसेडर कार भी रूकी जिसमें कश्मीरी लाल, बाबू राम और मदन लाल बैठे थे। कश्मीरी लाल और बाबू राम बंदूकों से लैस थे जबकि जगदीश सिंह बेदी लाठी से लैस था।आरोपी कार और मोटरसाइकिल से उतर गये। कश्मीरी लाल ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और रमेश चंद घायल हो गया। बाबूराम ने भी गोली चलाई जिससे अमृत लाल घायल हो गया। दोनों रमेश चंद और अमृत लाल नीचे गिर गए और सुभाष चंद और मूल चंद को चोट लग गई। रमेश चंद की 18.11.1972 को अस्पताल में मृत्यु हो गई और मूल चंद और सुभाष चंद का जिला अस्पताल में इलाज चला।

पुलिस दल पी. डब्ल्यू. 5. से टेलीफोन पर संदेश मिलने पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मोटरसाइकिल जिसके हेंडल पर एक थैला लटका था,एक थैला कारतुस और दो खाली कारतुस, जो जमीन पर पड़े हुए थे बरामद किए। अनुसंधान किया गया औार अभियुक्तो को गिरफ्तार कर विचारण के लिए भेजा गया।

विचारण में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान करवाए। मूल चंद (पीडब्लू. 1), सुभाष चंद (पीडब्लू. 4), आज्ञाराम (पीडब्लू. 6) औार जयपाल सिंह(पीडब्लू. 7) चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुए। उन्होंने अभियोजन कहानी को दोहराकर अभियोजन कहानी का समर्थन किया।

अभियुक्तों ने अपने बयान में घटना का विवरण अपने अनुसार दिया। उनके अनुसार मदन लाल रात 9 बजे रिक्शे पर जा रहा था औार जब वह एडवोकेट के घर के पास पहुंचा तो रमेश चंद ने उसके साथ गाली-गलौज की और उस पर कई गोलियां चला दीं। संयोगवश उसी समय कश्मीरी लाल वहां पहुंच गया। मृतक और अन्य लोगों ने उस पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन पर गोली चलाई।

विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहो की साक्ष्य को स्वीकार किया औार बचाव पक्ष के संस्करण को खारिज कर अभियुक्तगण को दोषिसध्द किया। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को खारिज कर आरोपी को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि मदन लाल दो या तीन गोलियों से जो उसके साथियो ने चलायी, गलती से मारा गया होगा क्योंकि यह अत्यधिक अप्राकृतिक और असंभव प्रतीत होता है। यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त ने हत्या की साजिश रची थी और वे सभी घटना स्थल पर कश्मीरी लाल के घर से पंहुचे थे तो यह समझना मुश्किल है कि बंदूक से लैस कश्मीरी लाल और बाबू राम ने रमेश चंद पर तुरंत गोली क्यों नहीं चलाई, जो बारात के सामने थे।

बरी किए जाने के आदेश से व्यथित राज्य ने तीन अपीलें इस अदालत में प्रस्तुत की और शिकायतकर्ता, मूल चंद ने विशेष अनुमति द्वारा एक अपील दायर की।

अपीलों में यह तर्क दिया गया थाः (1) चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य की पुष्टि अभिलेख पर मौजूद चिकित्सकीय साक्ष्य से हो रही थी और उनकी साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने आरोपी मदन लाल पर आग्नेयास्त्र की चोटों का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया था। (2) अभियुक्त मदन लाल के हाथ में

लगी आग्नेयास्त्र की चोटों का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी निहित था जिसे तुरंत पीडब्लू. 1 मूल चंद द्वारा दर्ज करायी गयी थी। (3) यह घटना एक बारात में हुयी जिसमें 100 से अधिक लोग थे, हाथापाई और भ्रम के कारण किसी से भी मुठभेड़ का ग्राफिक विवरण देने की अैार गोलीबारी की सही संख्या बताने की उम्मीद नहीं की जा सकती। (4) तीन चश्मदीद गवाह स्वाभाविक गवाह हैं, और उन्होंने एक सुसंगत विवरण दिया है जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से हुयी है जो दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। (5) उच्च न्यायालय अनुमानों पर आगे बढ़ा अैार सामान्य मानव आचरण को ध्यान में नहीं रखा। विशेष रूप से जब यह पाया गया कि आरोपी घटना से पहले एक कार और एक मोटरसाइकिल पर घटना स्थल पर आए थे और उनमें से चार को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस प्रश्न परः क्या उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत था या उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित था।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभीनिर्धारित किया

1. अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित नहीं किया है उच्च न्यायालय ने इन अभियुक्तों को सही ढंग से बरी कर दिया है। [438 एफ]

2. उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की बहुत सावधानीपूर्वक जांच की थी और उसी को विश्वसनीय मानकर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज किए। बल्कि यह साक्ष्य की विवेचना का मामला है। यदि साक्ष्य ऐसी प्रकृति का है कि दो विचार संभव हो और अभियुक्तों के पक्ष में विचार उन्हें बरी करने के लिए उच्च न्यायालय पर दबाव डालते हे, तो यह न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा। [434 डी]

3. केवल तब जब उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना करने में गंभीर त्रुटि की हो और कानून को नजरअंदाज करके अैार साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़कर

निणर्य दिया है तभी वह निर्णय विकृत या अवैध माना जा सकता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय का निर्णय ठोस कारणों से समर्थित है तो उसे पुष्ट किया जाना चाहिए। [434E-F]

4. भले ही चश्मदीद गवाहों ने एक-दूसरे की साक्ष्य की पुष्टि की और मूल चंद,आग्याराम और सुभाष चंद की उपस्थिति काफी संभावित थी और पीडब्लू-7 को स्वतंत्र चश्मदीद गवाह माना गया, उनके संस्करण के आंतरिक मूल्य को सावधानी से तोला गया। अभियुक्तों में से एक को लगी बंदूक की गोली की चोटों का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले की सच्चाई और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया।[437 एच-438 बी]

5. घायल व्यक्तियों में से एक अमृत लाल के बयान नहीं हुए है। सुभाष चंद द्वारा दिया गया विवरण मूल चंद और आग्याराम द्वारा दिए गए विवरण से असंगत है और अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन पक्ष का संस्करण पूरी तरह से अविश्वसनीय है। तात्विक साक्ष्य को दबाया गया है। इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।[438 डी-ई]

6. पीडब्लू 7 की गवाही अत्यधिक कृत्रिम प्रतीत होती है और मानव संभावनाओं के विरूध्द है। घटना का चश्मदीद गवाहों ने जो विवरण दिया है वो सच्चाई और घटना की उत्पत्ति को सही प्रकट नहीं करता है जो रहस्य में डूबा है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही बताया गया है।अभियुक्त व्यक्ति के हमले से संबंधित घटना को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। तात्विक साक्ष्य को दबाया गया है। जिसके कारण जिन परिस्थितियों में पीड़ित को घातक गोली लगी, में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है।

इसिलए उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। [438 जी-439 ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नं. 688-691/1979

दण्डिक अपील सं 1974 की 1850, 1851 और 1852 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.4.1979 के विरूध्द।

के. जी. भगत, प्रमोद स्वरूप, आर. के. सिंह, अनिल कुमार संगल, ए. एस. पुंडिर और प्रशांत चौधरी अपीलार्थियों की अेार से।

आर. के. गर्ग, यू. आर. ललित, वी. जे. फ्रांसिस, एन. एम. पोपली और डॉ. बीएस चौहान रेस्पोडेन्ट की अेार से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

फातिमा बीवी, जे. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें आपराधिक अपील संख्या 1974 की 1851, 1850, और 1852, में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 20.4.1979 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके जरिये प्रत्यथीर्गण के दोषसिध्दी के आदेश को अपास्त किया गया।

कश्मीरी लाल, मदन लाल, बाबू राम और जगदीश सिंह बेदी और प्रेम पाल के विरूद्व प्रथम अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश के द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 133 /1973 में आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 307, 324 सपठित धारा 149 में विचारण चला। बाबू राम और कश्मीरी लाल पर आईपीसी की धारा 147 के तहत भी अलग से आरोप लगाए गए।

आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने 17.11.1972 को रमेश चंद और अन्य की हत्या करने का आपराधिक षडयन्त्र रचा। बंदूकों से लैस बाबू राम और कश्मीरी लाल ने अन्य तीनों के साथ मिलकर रमेश चंद, अमृत लाल और सुभाष चंद की हत्या करने

और उन्हें घायल करने के सामान्य उद्देश्य रखने वाले विधी विरूद्व जमाव का गठन किया। जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, उन्होंने 17.11.1972 को लगभग 9.30 बजे रात में भोपा टोंगा स्टैंड पर अधिवक्ता श्री धर्मवीर सिंह सहरावत, मुजफफर नगर के घर के सामने रमेश चंद की हत्या कारित की अैार अमृत लाल और सुभाष चंद पर गोली चलाकर चोटें कारित की और इस तरह उपरोक्त अपराध कारित किए।

विद्वान अतिरिक्त. सत्र न्यायाधीश ने निणर्य दिनांक 29.7.1974 के जरिये कश्मीरी लाल और बाबू राम को आईपीसी की धारा 148, 120-बी, 302, 307 और 324, सपिठत धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास से, धारा 307 के तहत 7 साल के कठोर कारावास से धारा 148 के तहत 2 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। विद्वान न्यायाधीश ने जगदीश सिंह बेदी, प्रेम पाल और मदन लाल को आईपीसी की धारा 147, 120-बी, 302, 307 और 324 सपिठत धारा 149 में भी दोषसिद्व किया और आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास से, धारा 147 के तहत 2 साल के कठोर कारावास से दंडिंत किया और आईपीसी की धारा 120-बी और 324 के तहत किसी भी आरोपी को अलग से कोई सजा नहीं दी गई।

अपील के उद्देश्य से प्रासंगिक अभियोजन मामले को संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है: -कश्मीरी लाल और मदन लाल सगे भाई हैं। बाकी तीन यानी जगदीश सिंह बेदी, प्रेम पाल और बाबू राम इन भाइयों के दोस्त और सहयोगी हैं. मूलचंद और जगदीश चंद भाई हैं। मृतक रमेश चंद, जगदीश चंद का बेटा था। घायल सुभाष चंद (पीडब्लू 4) और अमृत लाल, मूल चंद के बेटे हैं। मूलचंद का परिवार और आरोपी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे, क्योंकि इन दोनों समूहों के बीच शिकायतें और प्रति-शिकायतें और अन्य मुकदमे थे, कश्मीरी लाल आरोपी को जयपाल सिंह (पीडब्लू 17) अगंरक्षक दिया गया था।

मूलचंद के एक और भाई, केवल किशोर की बेटी किरण प्रभा की शादी 17.11.1972 को हो रही थी। बारात दिल्ली से आई थी और गांधी कॉलोनी स्थित बरात घर में रुकी थी। रात लगभग 9 बजे दुल्हन के घर के लिए बारात शुरू हुई, मूल चंद, अमृत लाल, सुभाष चंद, रमेश चंद और आज्ञा राम बारात के साथ थे। बारात का नेतृत्व रमेश चंद और अमृत लाल कर रहे थे। रात्रि लगभग 9.30 बजे जब बारात पुलिस लाइन से सटे श्री धर्मवीर सिंह नेहरावत एडवोकेट के आवास के पास भोपा तांगा स्टैंड पर पहुंची तो प्रेम पाल और जगदीशसिंह बेदी प्रेम पाल द्वारा संचालित मोटरसाइकिल पर वहां आए और बारात के सामने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल रोक दी। इसके साथ ही मोटरसाइकिल के पीछे एक एंबेसेडर कार भी रुकी, जिसमें कश्मीरी लाल, बाबू राम और मदन लाल बैठे थे. कश्मीरी लाल और बाबू राम बंदूकों से लैस थे जबकि जगदीश सिंह बेदी लाठी से लैस था। आरोपी प्रेम पाल, मदन लाल और जगदीश सिंह बेदी कार और मोटरसाइकिल से उतरकर सुभाष, अमृत लाल और रमेश चंद के पास गए और गाली-गलौज करने लगे। जगदीश सिंह बेदी ने उन पर अपनी बट से प्रहार किया। मदन लाल ने बाबू राम को गोली चलाने के लिए उकसाया. कश्मीरी लाल ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और रमेश चंद घायल हो गया। बाबू राम ने एक साथ गोली चला दी जिससे अमृत लाल घायल हो गया। रमेश चंद और अमृत लाल दोनों गिर पड़े. कश्मीरी लाल और बाबू राम ने एक-एक राउंड गोली चलाई, जिससे आरोपी सुभाष चंद और मदन लाल घायल हो गए और सभी आरोपी मोटरसाइकिल और कार मौके पर छोड़कर भाग गए।

रमेश चंद की 18.11.1972 को अस्पताल में मृत्यु हो गई। मूलचंद और सुभाष चंद का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया।

पीडब्लू 5 बलबीर सिंह से टेलीफोनिक संदेश मिलने पर पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने मोटरसाइकिल बरामद की जिसके हैंडल पर एक बैग लटका हुआ था,

कारतूसों का एक बैग और जमीन पर दो खाली कारतूस पड़े थे। उपनिरीक्षक ने आरोपी कश्मीरी लाल, मदन लाल, बाबू राम और प्रेम पाल को रात करीब 10 बजे रूड़की चुंगी चौकी पर उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे ट्रक में चढ़ रहे थे। कश्मीरी लाल और बाबू राम के कब्जे से दो बंदूकें बरामद की गईं। कश्मीरी लाल के पास से खाली कारतूस और बंदूक के लाइसेंस भी बरामद हुए।

रात्रि 10.25 बजे मूलचंद द्वारा थाना कोतवाली में दी गई लिखित रिपोर्ट को प्रथम सूचना मानकर जांच की गई।

रात 10.15 बजे डॉ. मनोचा ने अमृत लाल की जांच की, उसके शरीर पर बंदूक की गोली से लगीचोट के साथ छह चोटें थीं। सुभाष चंद के बंदूक की गोली से लगी चोट के अलावा दो खरोंचनूमा चोटे थी। रमेश चंद की पहली बार रात 11 बजे डॉ. जय देव शर्मा (पीडब्ल्यू 11) ने जांच की। उसके शरीर पर 17 सेमी x 12 सेमी के क्षेत्र में 25 की संख्या में कई बंदूक छर्रों के घाव थे और 3 सेमी x 0.5 सेमी का घाव था (गहराई की जांच नहीं की गई) जैसा कि पूर्व में दर्ज किया गया है, छाती के केंद्र और निचले भाग में जो प्रदश Ka-14 मेडिकल रिपोर्ट में अंकित है। रमेश चंद के शव का हुआ पोस्टमार्टम 19.11.1972 को डॉ. आरएन पाठक (पीडब्लू 15) द्वारा किया गया था और इसमें पेट के दाहिनी ओर लगभग 86 बंदूक की गोली के घाव मौजूद होने का पता चला जो पेट के पीछे के ऊपरी हिस्से तक फैले हुए थे। आंतरिक जांच करने पर डॉक्टर को पेट की दीवार में छर्रे मौजूद मिले। आठ छर्रे बरामद किये गये। मौत रक्तस्राव और बंदूक की गोली से लगे सदमे के कारण हुई थी।

दिनांक 18.11.1972 को कश्मीरी लाल, मदन लाल, बाबू राम और प्रेम पाल की जेल के चिकित्सक डॉ. केसी पांडे द्वारा चिकित्सीय जांच की गई। चोट रिपोर्ट प्रदश केए-4 से 7 के अनुसार, कश्मीरी लाल को लगभग एक दिन पहले किसी कुंद हथियार से

दाहिने हाथ, बाएं हाथ की छोटी उंगली, दाहिने कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से पर कई चोटें लगी थीं। मदन लाल के लगभग एक दिन पहले बंदूक की गोलियों के कई छोटे-छोटे घाव अलग-अलग हिस्सों में बिखरे हुए थे। प्रेम पाल को लगभग एक दिन पहले कठोर पदार्थ के घर्षण के कारण दो छोटी खरोंचें लगी थीं और बाबू राम को कुंद हथियार की चार साधारण चोटें लगी थीं और बाएं हाथ की उंगलियों पर दर्दनाक सूजन थी, जिसकी अवधि का पता नहीं लगाया जा सका।

अभियोजन पक्ष द्वारा बीस गवाहों की साक्ष्य लेखबद्व की गयी। मूल चंद (पीडब्लू 1), सुभाष चंद (पीडब्लू 4), आज्ञा राम (पीडब्लू 6) और जय पाल सिंह (पीडब्लू 7) ने चश्मदीद गवाह के रूप में बयान दिये। उन्होंने अभियोजन का समर्थन कर अभियोजन कहानी को दोहराया।

अभियुक्तों ने अपने बयान में घटना का विवरण अपने अनुसार दिया। उनके अनुसार मदन लाल 17.11.1972 को रात 9 बजे गांधी कॉलोनी से शहर की ओर रिक्शे पर जा रहा था। जब वह एडवोकेट धर्मवीर सिंह सहरावत के घर के पास पहुंचा तो रमेश चंद ने उसके साथ गाली-गलौज की और उस पर कई गोलियां चला दीं। संयोगवश उसी समय कश्मीरी लाल वहां पहुंच गया। मृतक और अन्य लोगों ने उस पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन पर गोली चलाई।

जगदीश सिंह बेदी और प्रेम पाल ने कहा कि घटना के समय वे मोटरसाइकिल पर गांव से लौट रहे थे और जब वे पुलिस लाइन के पास पहुंचे, तो उन्हें भीड़ और बारात मिली। मोटरसाइकिल चला रहे प्रेम पाल ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और दोनों मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। प्रेम पाल ने

दावा किया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पीडब्लू 17, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, राधे श्याम मिश्रा ने पुष्टि की कि दो कारतूस कश्मीरी लाल और बाबू राम के कब्जे से बरामद दो बंदूकों से चलाए गए थे। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, बचाव पक्ष के संस्करण को खारिज कर दिया और दोषसिद्धि दर्ज की। दोषी व्यक्तियों की अपील पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को खारिज कर दिया और उन्हें बरी कर दिया।

दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर राज्य ने तीन अपीलें दायर की हैं। मूलचंद, वास्तविक शिकायतकर्ता, ने विशेष अनुमति पर, 1979 की अलग आपराधिक अपील संख्या 688 दायर की है। जिन आधारों पर आग्रह किया गया है वे ये हैं

घटना के चश्मदीद गवाहों की कहानी रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल साक्ष्यों से पूरी तरह पुष्ट हुई। चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनकी साक्ष्य को स्वीकार करना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने आरोपी मदन लाल पर आग्नेयास्त्र की चोटों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया था।

अभियुक्त मदन लाल की आग्नेयास्त्र की चोटों का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी शामिल था, जिसे प्रत्यक्षदर्शी गवाहों में से एक, पीडब्लू 1, मूल चंद द्वारा तुरंत दर्ज की गइ थी। चोटें त्वचा तक गहरी हैं

यह घटना एक बारात में हुई, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे, हाथापाई और भ्रम के कारण किसी से भी मुठभेड़ का ग्राफिक विवरण और साथ ही गोलीबारी की सटीक संख्या बताने की उम्मीद नहीं की जा सकती। चश्मदीद गवाहों के लिए हर विवरण को ग्राफिक तरीके से नोटिस करना असंभव था।

तीनों चश्मदीद गवाह स्वाभाविक हैं। सुभाष चंद एक घायल व्यक्ति हैं. जब निःसंदेह मृतक रमेश चंद बारात में था तो इन गवाहों की उपस्थिति भी प्रमाणित होती है। उनके पास एक सुसंगत विवरण है और साक्ष्य की अन्य सामग्रियों से इसकी पुष्टि होती है। दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए सबूत पर्याप्त थे।

जय पाल सिंह (पीडब्लू 7) निश्चित रूप से कश्मीरी लाल का अंगरक्षक था। उसने आरोपियों की हरकतों का विस्तृत ब्यौरा दिया है. चश्मदीद गवाहों के बयान के अलावा विभिन्न बरामदगियों से इसकी पूरी तरह पुष्टि होती है। सबूतों को खारिज करने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

उच्च न्यायालय सामान्य मानवीय आचरण की अनदेखी करने वाले अनुमानों पर आगे बढ़ा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी घटना से पहले एक कार और मोटरसाइकिल पर घटनास्थल पर आए थे और उनमें से चार को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाबू राम और कश्मीरी लाल दोनों ने शिकायतकर्ता पार्टी पर गोलीबारी की थी लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटना का अभियोजन पक्ष सही हो क्योंकि यह बहुत संभव है कि घटना स्थल पर अचानक झगड़ा हुआ हो और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं पर पहले गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप मदन लाल, अपीलकर्ता को बंदूक की गोली से चोटें आईं। यह तर्क दिया गया कि कोई भी ऐसे समय में अपने दुश्मन पर गोली चलाकर अपनी ही बारात को खराब नहीं करेगा, जबकि एक दुश्मन अपने दुश्मन की शादी को खराब करने के लिए गोलीबारी कर सकता है। घटनास्थल पर कार और मोटरसाइकिल में आरोपियों की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उनका इरादा बारात को खराब करने और हिंसा में शामिल होने का था। अभियुक्त की गिरफ्तारी और घटना के तुरंत बाद हुयी बरामदगी अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई का आश्वासन देती है और इसमें किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि अभियोजन पक्ष की कहानी सत्य है।

वरिष्ठ वकील श्री भगत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का हवाला देते हुए इन आधारों को विस्तार से बताया।

उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध इन अपीलों में, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है या उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित है। उच्च न्यायालय ने बहुत सावधानी से साक्ष्यों की जांच की थी और उसकी विश्वसनीयता के बारे में अपना निष्कर्ष दर्ज किया था। बल्कि यह साक्ष्य की विवेचना का मामला है। यदि साक्ष्य इस प्रकार की है कि दो दृष्टिकोण संभव हैं और अभियुक्तों को बरी करने का विचार उच्च न्यायालय के बरी करने के विचार के साथ मेल खाता है तो यह न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा। यदि केवल उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के विवेचन में गंभीर त्रुटि की है और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करके या साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़कर खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है और निष्कर्ष पर पहुंचा है, तब उनके निर्णय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा विकृत या अवैध मानते हुए हस्तक्षेप योग्य माना जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय का निर्णय ठोस कारणों से समर्थित है तो उसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

तर्कों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन साक्ष्य के सार को संक्षेप में रेखांकित करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया मामला यह है कि एक तरफ कश्मीरी लाल और दूसरी तरफ मूलचंद कट्टर दुश्मन थे। आरोपियों ने रमेश चंद की हत्या का षडयन्त्र रचा और वे सभी कश्मीरी लाल और मदन लाल के घर से घटनास्थल तक कार और मोटरसाइकिल पर गये थे। जय पाल सिंह (पीडब्लू 7) ने पिछले दिन ही अंगरक्षक का कार्यभार संभाला था। वह आरोपियों के साथ कार में था और जब वे घटनास्थल के पास पहुंचे तो उन्हें उतरने के लिए कहा गया। जय पाल सिंह घटनास्थल से लगभग पचास कदम की दूरी पर कार से उतरा जहां से उसने

मुठभेड़ देखी। अन्य तीन प्रत्यक्षदर्शी बारात का नेतृत्व कर रहे थे। वहां पर लालटेन स्ट्रीट लाइट थी। इन गवाहों द्वारा बताई गई घटना की उत्पत्ति यह है कि हमला आरोपियों द्वारा शुरू किया गया था और मदन लाल को बंदूक की गोली से चोट लगी थी जब आरोपियों ने गोली चलाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन मामले के लिए सबसे नुकसानदायी कारण मदन लाल के शरीर पर पाए गए बंदूक की गोली की चोटों का असंतोषजनक स्पष्टीकरण है। हाई कोर्ट ने इस ओर इशारा किया कि मूल चंद और जय पाल सिंह ने मदन लाल के शरीर पर मिले बंदूक की गोली के घावों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आज्ञा राम (पीडब्लू 6) ने केवल इतना कहा कि उसने सुना है कि मदन लाल को भी चोटें लगी थीं। उसने यह नहीं बताया कि उसे गोली कैसे लगी। सुभाष चंद ने बताया कि घटना के समय आरोपियों ने केवल तीन गोलियां चलाई थीं। पहली गोली कश्मीरी लाल ने रमेश चंद पर चलाई, दूसरी गोली बाबू राम ने अमृत लाल पर चलाई और तीसरी गोली कश्मीरी लाल ने सुभाष चंद पर चलाई और इससे मदन लाल भी घायल हो गया जो सुभाष चंद के पास था।

मदन लाल की चोटों की जांच करने वाले डॉ. केसी पांडे ने कहा है कि उसके शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वे एक से अधिक गोली लगने की वजह से लगी थीं। श्री बी. राय, बैलिस्टिक विशेषज्ञ से उच्च न्यायालय द्वारा एक अदालती गवाह के रूप में पूछताछ की गई ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मदन लाल के शरीर पर आयी चोटें कितनी गाोलियों से आ सकती है और क्या वे उसी गोली के कारण हो सकती है जिससे रमेश चंद, अमृत लाल और सुभाष चंद घायल हो गए। इस गवाह ने गवाही दी कि मदन लाल के शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वो उस बंदूक की गोलियों के कारण नहीं आ सकतीं, जिससे रमेश चंद को चोटें आईं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीन गोलियों के कारण आयी हैं। मदन लाल के शरीर पर पाई गई चोटों की संख्या अैार जिस स्थान पर वो आयी उनको ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा

प्रतीत होता है कि ये तीन नहीं तो कम से कम दो गोलियों के कारण लगी हैं। उच्च न्यायालय यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मदन लाल को उनके दो साथियों द्वारा गलती से चलाई गई दो या तीन गोलियाँ लगी हो क्योंकि यह अत्यधिक अप्राकृतिक और असंभव प्रतीत होता है। मदन लाल पर पाए गए बंदूक की गोली के घावों की संख्या सुभाष चंद पर पाए गए बंदूक की गोली की चोटों की तुलना में बहुत अधिक है। उच्च न्यायालय की राय में शिकायतकर्ता के पक्ष द्वारा चलाई गई गोलियों के कारण इनके होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह बहुत संभव है कि घटना स्थल पर अचानक झगड़ा तब हुआ होगा जब शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं (अभियुक्तों) पर पहले गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप मदन लाल को गोली लगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि चार चश्मदीदों द्वारा दी गई घटना के विवरण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और बाबू राम और कश्मीरी लाल द्वारा निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक, सुभाष चंद और अमृत लाल को चोट पहुंचाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कश्मीरी लाल के अंगरक्षक जय पाल सिंह द्वारा बताई गई कहानी की, वास्तविक मुठभेड़ से पहले क्या हुआ था की पुष्टी नहीं हुयी है। 16.11.1972 को उसे उसका अंगरक्षक नियुक्त किया गया। वह उसी शाम उसके घर गया और रात तक वहीं रहा। दिनांक 16.11.1972 को रात्रि लगभग 9.00 बजे बाबू राम अपनी बन्दूक एवं कारतूसों के साथ कश्मीरी लाल के घर आया औार वहीं रूका रहा, जगदीश सिंह बेदी एवं प्रेम पाल मोटरसाइकिल पर आये। उस वक्त बाबू राम भी मौजूद था। सभी पांचों आरोपी एक कमरे के अंदर बैठ गए और पीडब्लू 7 को बरामदे में बैठने के लिए कहा गया। करीब एक घंटे तक आरोपियों ने आपस में बातचीत की फिर बाहर आ गए। प्रेम पाल और जगदीशसिंह बेदी चले गये। दोपहर करीब दो बजे कश्मीरी लाल कुछ लोगों से मिलने गया। बाबू राम और मदन लाल कहीं अैर चले गए। पीडब्लू 7 और कश्मीरी लाल शाम

करीब 7 बजे घर लौटे। बाबू राम और मदन लाल वहां मौजूद थे। रात करीब आठ बजे जगदीश सिंह बेदी और प्रेम पाल मोटरसाइकिल पर आये। कमरे के अंदर पांचों ने आपस में बातचीत की. जगदीश सिंह बेदी के पास एक छोटी सी लाठी भी थी। रात करीब 8.30 बजे मदन लाल घर से निकला और आधे घंटे में लौटा और कश्मीरी लाल को बताया कि बरात शुरू हो गई है और सभी लोग मौजूद हैं. इसके बाद कश्मीरी लाल ने जगदीश सिंह बेदी और प्रेम पाल को एक कार लाने के लिए कहा और वे कश्मीरी लाल के घर से अपनी मोटरसाइकिल पर चले गए। कश्मीरी लाल ने अपनी बंदूक और कारतूसों का थैला ले लिया। जो गाड़ी लायी गयी थी, उसी में बैठ कर चल दिये और जब सिपाही बोर्ड के पास पहुंचे तो पुलिस लाइन की ओर से बारात आती दिखाई दी। कश्मीरी लाल ने कार रोकी और पीडब्लू 7 को नीचे उतरकर पास की दुकान में चाय लेने के लिए कहा गया। पीडब्लू 7 उतरकर चाय लेने के लिए भोपा तांगा स्टैंड की ओर चला गया। जगदीशसिंह बेदी और प्रेम पाल और अन्य लोग बारात की ओर आगे बढ़े। जब वे अधिवक्ता श्री धर्मवीर सिंह सहरावत की कोठी के सामने पहुंचे, आरोपी कार व मोटरसाइकिल से उतरे। वे झगड़ने लगे और बारात के तीन लड़कों के साथ मारपीट की। पीडब्लू 7 उनकी ओर दौड़ा लेकिन कश्मीरी लाल और बाबू राम ने तीनों लड़कों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और वे सभी बंदूक की गोली से घायल होकर गिर पड़े और तीसरे को भी गोली लगी। यह विवरण पीडब्लू 7 द्वारा दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी और वे सभी कश्मीरी लाल के घर से घटना स्थल की ओर बढ़े थे, तो यह समझना मुश्किल है कि क्यों कश्मीरी लाल और बाबू राम जो बंदूक से लैस थे, ने रमेश चंद पर तुरंत गोली नहीं चलाई, जो बारात के सामने था। इसके बजाय, तीन आरोपियों ने उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया और जगदीश सिंह बेदी ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। चश्मदीद गवाहों का कथन कि जगदीश सिंह बेदी के पास घटना के समय लाठी थी स्वीकार्य नहीं

था क्योंकि इसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया था। यह विश्वास करना भी कठिन था कि प्रेम पाल और मदन लाल घटनास्थल पर खाली हाथ जा सकते थे यदि वे वास्तव में एक विधी विरूद्व जमाव के सदस्य थे जिसका उद्देश्य रमेश चंद की हत्या करना था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि कश्मीरी लाल और बाबू राम अपीलकर्ताओं ने रमेश चंद (मृतक), सुभाष चंद (पीडब्लू 4) और अमृत लाल पर गोली चलाई होगी, जबकि उन्हें मदन लाल, जगदीशसिंह बेदी और प्रेम पाल अपीलकर्ता ने धक्का दिया था। क्योंकि उपरोक्त तीनों अपीलकर्ताओं को चोट लगने का बड़ा जोखिम था। यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि अपीलकर्ता कश्मीरी लाल और मदन लाल अपीलकर्ताओं के घर से कांस्टेबल जय पाल सिंह (पीडब्लू 7) को अपने साथ ले गए होंगे यदि उनका सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करना था। यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि जय पाल सिंह (पीडब्लू 7) कश्मीरी लाल अपीलकर्ता द्वारा उसके अंगरक्षक के रूप में निर्देशित किए जाने पर घटना स्थल से लगभग पचास कदम की दूरी पर कार से उतर गया होगा और इस प्रकार उसे छोड़ने की उम्मीद नहीं थी। हालाँकि, अभियोजन कहानी के लिए सबसे नुकसानदायक कारण मदन लाल अपीलकर्ता के शरीर पर पाए गए बंदूक की गोली की चोटों का असंतोषजनक स्पष्टीकरण है, जो घटना के समय उसे प्राप्त हुई थी।"

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अभियोजन संस्करण में व्यापक विशेषताओं और अंतर्निहित असंभाव्यताओं की जांच की है। भले ही चश्मदीदों ने सभी भौतिक विवरणों पर एक-दूसरे की पुष्टि की और मूल चंद, आज्ञा राम और सुभाष चंद की उपस्थिति की

काफी संभावना थी और पीडब्लू 7 को स्वतंत्र चश्मदीद गवाह माना जा सकता था, उनके संस्करण के आंतरिक मूल्य को सावधानीपूर्वक तौला गया है किंतु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों में से एक को बंदूक की गोली से लगी चोटें ठीक से नहीं बताई गई हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अस्वीकार्य है, उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले की सच्चाई और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया।

उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कई अन्य प्रासंगिक विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो इस निष्कर्ष का समर्थन करेंगे कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से नहीं हुई है और सच्चा और सही विवरण की किन परिस्थितियों में मृतक और घायल व्यक्तियों को चोटें आईं, यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है। विद्वान वकील ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि मामले में घायल व्यक्तियों में से एक अमृत लाल साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है। सुभाष चंद द्वारा दिया गया विवरण मूलचंद औार आज्ञा राम द्वारा दिए गए विवरण से असंगत है और अभियोजन कहानी के लिए घातक है। विद्वान वकील ने बैलिस्टिक विशेषज्ञ की साक्ष्य पर जोर दिया, जिसने पैमाने को बहुत बदल दिया था और अभियोजन कहानी को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाये रखा। और अभियोजन मामले को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज किया गया है और किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

हमने इन तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने इन आरोपियों को सही बरी किया है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई विभिन्न कमियों को दोहराना आवश्यक नहीं है। पीडब्लू 7 की गवाही अत्यधिक कृत्रिम प्रतीत होती है और मानवीय संभावनाओं से मेल नहीं खाती। घटना का चश्मदीद गवाह जैसा कि, उच्च न्यायालय द्वारा सही बताया गया है, सच्चाई को उजागर नहीं करता है और घटना की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। आरोपी व्यक्ति के हमले से संबंधित घटना के महत्वपूर्ण हिस्से को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है या दबा दिया गया है और उन परिस्थितियों पर उचित संदेह पैदा होता है जिनके तहत पीड़ित को घातक गोली लगी। इसलिए, हम अपीलकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा को बहाल करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीले खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुन्तल जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।